तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 184/2021 अनवान अनिता बनाम पुरखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
11/01/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि मौजा काउ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 93, 436/95, 644/95 व 829/137 रकबा क्रमशः 0.08, 35.00, 42.00 व 21.15 कुल रकबा 99.03 बीघा भूमि में माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.08.2021 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था, जिसमे वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की और से वकील श्री मेघाराम चौधरी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसमे प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 के वारिश होने से उनके 1/4 हिस्से तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के हिस्सो पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रार्थीगण ने कोई विधिक आधार प्रस्तुत नही किया है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस बात की सन्तुष्टी है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाातेदारी की अविभाजित भूमि होने से बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान करवाते है तो प्रार्थीगण का अपूर्णीय क्षति होगी। वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 04 का यह कथन भी सही है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 के वारिश होने से उनके 1/4 हिस्से तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के हिस्सो पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रार्थीगण ने कोई विधिक आधार प्रस्तुत नही किया है।	

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाडमेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 184/2021 अनवान अनिता बनाम पुरखाराम

लिहाजा अप्रार्थी संख्या 01 को उसके 1/4 हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध उसके 1/4 हिस्से तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा काउ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 93, 436/95, 644/95 व 829/137 रकबा क्रमशः 0.08, 35.00, 42.00 व 21.15 कुल रकबा 99.03 बीघा भूमि में रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर